खान श्रमिकों की सलामती के लिए चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था जरूरी

खान श्रमिकों की अवदशा

परिमल नथवाणी
राज्यसभा सांसद

धरती के गर्भ से निकाल कर खनिजों को बेतहाशा हथियाने की होड़ में खानों में काम करते श्रमिकों की अवदशा के प्रति हमारा समाज कितना चिंतित है, या है भी कि नहीं, इसका पता नहीं चलता. खदानों-खनिजों के व्यापार में चल रही माफियागीरी और अंधाधुंध उत्खनन से पैदा होनेवाले पर्यावरणीय प्रश्नों को तो अक्सर उठाया जाता है, लेकिन खदानों में मजदूरी करनेवाले और जान गंवानेवाले श्रमिकों एवं उनके परिवारों की अवदशा के विषय में बहुत कम पता चलता है.

इस विषय को कोयले की खदानों की पृष्ठभूमि में बनी 'काला पत्थर' नामक प्रचलित फिल्म में अगर इसकी नाट्यात्मकता को दरकिनार करें, तो भली-भांति दर्शाया गया था. हाल ही में, 11 नवंबर 2013 को धनबाद की एक कोयला खान में कोई हिस्सा धंस जाने से चार मजदूरों की मौत और कुछ लोगों के घायल होने की खबर ने खान श्रमिकों की सलामती एवं सामाजिक सुरक्षा के विषय में सोचने पर एक बार फिर मजबूर कर दिया. दुर्घटना के वक्त करीब 200 श्रमिक फंसे होने की खबर भी थी.

बहरहाल, संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 14 अगस्त 2013 को राज्यसभा में मैंने झारखंड में खान श्रमिकों की सलामती के संबंध में एक प्रश्न किया था. खान अधिनियम-1952 और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं विनियमों में खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त उपबंध हैं. खान सुरक्षा महानिदेशालय इस कानून और इससे संबंधित नियमों को लागू करनेवाली संस्था है. खानों का परिचालन व प्रबंधन इन नियमों के अधीन हो रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण यह महानिदेशालय समय-समय पर करता है. खानों में होनेवाली दुर्घटनाओं और इनके कामकाज के खिलाफ आती शिकायतों की जांच महानिदेशालय करता है.

खान महानिदेशालय को यह अधिकार है कि जहां भी कुछ गलत हो रहा हो, वहां नोटिस जारी करे, प्रतिबंधित आदेश जारी करे और जहां कायदे-कानून का सरासर उल्लंघन हो रहा हो, वहां अदालत में मामला दर्ज कराये. तकनीकी परिपत्र, मार्गदर्शक रूपरेखा आदि जारी कर खान श्रमिकों को सूचित व शिक्षित करने का काम भी हो रहा है. सलामती-सुरक्षा संबंध में इनामों व पारितोषिकों-पुरस्कारों के जरिये इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है. स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अग्निशमन, सामाजिक कल्याण जैसी बातों का प्रचार-प्रसार किया जाता है. इसके लिए अभियान चलाये जाते हैं. निबंध-लेखन व वाक प्रतियोगिताएं, पोस्टर प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की जाती हैं. यह काम आसान है, लेकिन दुर्घटना ही न हो, ऐसी चुस्त-दुरुस्त प्रशासनिक और तकनीकी अग्रिम व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी किसकी? दुर्घटना घटित होने पर बचाव कार्य, राहत कार्य, प्राथमिक एवं लंबी अवधि की चिकित्सा आदि की तैयारियां भी होनी चाहिए. दुर्घटना में अगर श्रमिक मारा जाये या अपाहिज हो जाये, तो उसका क्या? उसके परिवार का क्या? मान लें कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो भी लगातार खदानों में कम ऑक्सीजन एवं अधिकतम कार्बन के माहौल में काम करते रहने पर उनके स्वास्थ्य पर होनेवाले प्रतिकूल प्रभावों का क्या? श्रमिक निवर्तमान आयु पर काम से निवृत्त हो जाये, उसके बाद उसके जीवन यापन का क्या? ऐसे प्रश्न उठना स्वाभाविक है.

मैं मार्च-2008 में झारखंड से राज्यसभा में गया. इसलिए स्वाभाविक है कि मैंने संसद में 2008 से जून 2013 तक झारखंड की खदानों में हुई दुर्घटनाओं का ब्योरा मांगा था. सदन में दी गयी जानकारी के मुताबिक, झारखंड की खदानों में हुई अलग-अलग दुर्घटनाओं में वर्ष 2008 में 16, वर्ष 2009 में 28, वर्ष 2010 में भी 28, वर्ष 2011 में 17, वर्ष 2012 में 26 और वर्ष 2013 में 14 खान श्रमिकों ने जान गंवायी. इसमें 11 नवंबर 2013 को हुई दुर्घटना में मरे चार को जोड़ें, तो वर्ष 2013 का कुल मृत्यु अंक 18 होता है.

इस प्रकार पिछले साढ़े पांच-छह वर्षों में झारखंड की खदानों में हुई दुर्घटनाओं में कुल 133 लोगों की जान गयी है. यह 133 का आंकड़ा भी झारखंड की केवल कोयला खदानों में हुई दुर्घटनाओं की मौत का है. कोयला-खानों के अतिरिक्त, अन्य खदानों में वर्ष 2008 से जून 2013 तक की अवधि में जो 24 लोग मारे गये हैं, वे एक्स्ट्रा! **जारी**

प्रभात खबर पृ. 02
दि 20/11/2013

आलेख

खान श्रमिकों की अवदशा : दो

... कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं

परिमल नथवाणी
राज्यसभा सांसद

गुजराती में एक कहावत है कि 'जानकीनाथ को भी पता न था कि सवेरे क्या होगा...' अर्थात जीवन कितना अनिश्चित है, लेकिन अनिश्चितता का यह फलसफा एक बात है और धरती के नीचे 8 या 10 मंजिलों तक की गहराई में काम करना दूसरी. यह कितना खतरनाक है, इसकी कल्पना करने पर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. दीवारें धंस जाये, छत धराशायी हो, सिर पर लटकते किसी यंत्र साधन का लोहे का भारी टुकड़ा गिर जाये, केबल में अचानक लिपट कर इधर-उधर टकराते हुए घसीटे जायें, मशीनरी में शरीर का कोई हिस्सा दब जाये, ब्लास्टिंग के दौरान कोई चपेट में आ जाये, ऊपर से नीचे तक पटखनी खा जाये आदि कुछ भी हो सकता है. दुर्घटना आखिर दुर्घटना है.

सिर पर लाइटवाला हेलमेट पहन कर मुलाकाती के रूप में किसी खदान में अमिताभ बच्चन या शशि कपूर के वहम में रौब से एक चक्कर काट आने में और लगातार सिर पर मौत मंडरा रही हो, ऐसे माहौल में अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए दिन-रात जी-तोड़ मेहनत करने में काफी फर्क है. सारी जिंदगी खदानों में गुजारी हो, ईश्वर की कृपा से अच्छे-भले बचे हों और वहां से रिटायर हों, तो उसके बाद क्या?

झारखंड की खदानों का जो सत्य है, वही सत्य बिहार, ओड़िशा या पश्चिम बंगाल की खदानों का भी होगा ही. मेरे पास एक ऐसे व्यक्ति की दर्दनाक कथा है, जिसने देश की मिनी रत्न कही जानेवाली कंपनी सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के एक्जक्यूटिव के तौर पर (खान श्रमिक नहीं, एक्जक्यूटिव) 37 साल काम किया.

31 दिसंबर-1995 को यह एक्जक्यूटिव 58 साल की आयु में रिटायर हुआ. उसके बाद उसे हर महीने 1,626 रुपये बतौर पेंशन मिलते हैं. एक निवर्तमान एक्जक्यूटिव का यह हाल है, तो रिटायर मजदूर का क्या हाल होगा? जानना चाहेंगे? 31 दिसंबर को रिटायर हुए नन एक्जक्यूटिव कर्मचारी को सिर्फ रुपये दो सौ (जी हां! दो सौ रुपये) की माहवार पेंशन मिलती है. इनकी दशा या अवदशा की कोई कल्पना करे भी, तो क्या? कोयला खदानों के संबंध में 1998 में एक पेंशन योजना बनी, जो एक अप्रैल 1994 की पिछली तारीख से लागू की गयी. इसमें हर तीन साल में पेंशन फंड की समीक्षा कर पेंशन की रकम बढ़ाने की स्पष्ट व्यवस्था है. फिर भी यह हालत है.

इस 21वीं सदी की एक जबरदस्त अजायब घटना कही जाये, ऐसी एक बात यह है कि इस कोल माइंस पेंशन योजना में न्यूनतम 73 रुपये माहवार पेंशन का उपलब्ध है. ऐसे में 'जानकीनाथ' खुद भी क्या करें? इतना ही नहीं, वर्ष 1955 में कोल इंडिया के अध्यक्ष (नाम जान-बूझ कर नहीं लिखा) रिटायर हुए थे. उन्हें प्रतिमाह 2,344 रुपये बतौर पेंशन मिलती है. यह दशा है. **समाप्त**

प्रभात खबर पृ. 02

मर रहे हैं खदानों के मजदूर, बात करने वाला कोई नहीं

परिमल नथवाणी

धरती के गर्भ से निकालकर खनिजों को बेतहाशा हथियाने की होड़ में खानों में काम करते श्रमिकों की अवदसा के प्रति हमारा समाज कितना चिंतित है, या है भी कि नहीं, इसका पता नहीं चलता। खदानों-खनिजों के व्यापार में चल रही माफियागीरी और अंधाधुंध उत्खनन से पैदा होने वाले पर्यावरणीय प्रश्नों को अक्सर उठाया जाता है। लेकिन खदानों में मजदूरी करनेवाले और जानें गंवानेवाले श्रमिकों और उनके परिवारों की अवदशा के विषय में बहुत कम पता चलता है।

इस विषय को कोयले की खदानों की पृष्ठभूमि में बनी काला पत्थर नामक प्रचलित फिल्म में, अगर इसकी नाट्यत्मकता को दर किनार करें तो, भली भांति दर्शाया गया था। हाल ही में 11 नवंबर 2013 को धनबाद की एक कोयला खान में कोई हिस्सा धंस जाने से चार मजदूरों की मौत और कुछ लोगों के घायल होने की खबर ने खान - श्रमिकों की सलामती और सामाजिक सुरक्षा के विषय में सोचने पर एक बार फिर मजबूर कर दिया। दुर्घटना के वक्त करीब 200 मजदूरों के फंसे होने की खबर भी थी।

बहरहाल, संसद के मानसून सत्र के दौरान 14 अगस्त 2013 को राज्यसभा में मैने झारखंड में खान - श्रमिकों की सलामती के संबंध में एक प्रश्न किया था। खान अधिनियम, 1952 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिये पर्याप्त उपबंध है। खान सुरक्षा महानिदेशालय इस कानून और इससे संबंध नियमों को लागू करने वाली संस्था है। खानों का परिचालन व प्रबंध इन नियमों के अधीन हो रहा है कि नहीं इसका निरीक्षण यह महानिदेशालय समय - समय पर करता है। खानों में होनेवाली दुर्घटनाओं और इनके कामकाज के खिलाफ आती शिकायतों की जांच महानिदेशालय करता है।

खान महानिदेशालय को यह सत्ता है कि जहां भी कुछ गलत हो रहा हो वहां नोटिस जारी करे, प्रतिबंधित आदेश जारी करे और जहां कायदे कानून का सरासर उल्लंघन हो रहा हो वहां अदालत में मामला दर्ज कराए। तकनीकी परिपत्र, मार्गदर्शक रूपरेखा आदि जारी करके खान श्रमिकों को सूचित व शिक्षित करने का काम भी हो रहा है। सलामती सुरक्षा संबंधों में इनामों व पारितोषिकों, पुरस्कारों के जरिये इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अग्नि-शमन, सामाजिक कल्याण कार्य जैसी बातों का प्रचार - प्रसार किया जाता है, इसके लिये अभियान चलाए जाते हैं, निबंध लेखन व वाक - प्रतियोगिताएं, पोस्टर- प्रतियोगिताएं, आदि का आयोजन किया जाता है। यह काम आसान है। लेकिन दुर्घटना ही न हो ऐसी चुस्त दुरूस्त प्रशासनिक और तकनीकी अग्रिम व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी? दुर्घटना घटित होने पर बचाव कार्य, राहत कार्य, प्राथमिक और लंबी अवधी की चिकित्सा आदि की तैयारियां भी होनी चाहिये। दुर्घटना में अगर श्रमिक मारा या अपाहिज हो जाए तो उसका क्या? उसके परिवार का क्या? मान लें कि ऐसा कुछ भी न होगा तो भी लगातार खदानों में कम ऑक्सीजन और अधिकतम कार्बन के माहौल में काम करते रहने पर उनके स्वास्थ्य पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों का क्या? श्रमिक निवर्तमान आयु पर काम से निवृत हो जाएं उसके बाद उसके जीवन यापन का क्या? ऐसे प्रश्न उठना स्वाभाविक है... जारी

लेखक राज्यसभा सांसद हैं

हिन्दुस्तान Pg. 09
Dt. 19/11/2013

मर रहे हैं खदानों के मजदूर, बात करने वाला कोई नहीं

परिमल नथवाणी

गतांक से आगे...

मैं मार्च 2008 में झारखण्ड से राज्यसभा में गया। इसलिये स्वभाविक है कि मैंने संसद में 2008 से जून 2013 तक झारखंड की खदानों में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा मांगा था। सदन में दी गई जानकारी के मुताबिक झारखंड की खदानों में हुई अलग - अलग दुर्घटनाओं में 2008 में 16, 2009 में 28, 2010 में भी 28, 2011 में 17, 2012 में 26, और 2013 में 14 श्रमिकों ने जाने गंवाई। इसमें 11 नवंबर 2013 को हुई दुर्घटना में मरे चार को जोड़ें तो वर्ष 2013 का कुल मृत्यु अंक 18 होता है।

इस प्रकार पिछले पांच छह वर्षों में झारखंड की खदानों में हुई दुर्घटनाओं में कुल 133 जानें गई हैं। यह 133 का आंकड़ा भी झारखंड की केवल कोयला खदानो में हुई दुर्घटनाओं की मौत का आंकड़ा है। कोयला खानों के अतिरिक्त अन्य खदानो में वर्ष 2008 से जून 2013 की अवधी में 24 जो मारे गए हैं वह एक्सट्रा।

गुजराती में एक कहावत है कि जानकीनाथ को भी पता न था कि सवेरे क्या होगा..। अर्थात जीवन कितना अनश्चित है। लेकिन अनिश्चितता का यह फलसफा एक बात है और धरती के नीचे 8 या 10 मंजिलों तक की गहराई में काम करना दूसरी। यह कितना खतरनाक है कि इसकी कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धंस जाएं, छत धाराशायी हो, सर पर लटकते किसी यंत्र साधन का लोहे का भारी टुकड़ा गिर जाए, केबल में अचानक लिपटकर इधर उधर टकराते हुएं घसीटे जाएं, मशीनरी में शरीर का कोई हिस्सा दब जाए, ब्लास्टिंग के दौरान कोई चपत में आ जाए, उपर से निचे तक पटखनी खा जाए, आदि कुछ भी हो सकता है।

दुर्घटना आखिर दुर्घटना है। सर पर लाईटवाली हेलमेट पहनकर मुलाकाती के रूप में किसी खदान में अमिताभ बच्चन या शशि कपूर के वहम में रौब से चक्कर काट आने में और लगातार सर पर मौत मंडरा रही हो ऐसे माहौल में अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए दिन - रात तन - तोड़ मेहनत करने में काफी फर्क है। सारी जिंदगी खदानों में गुजारी हो, ईश्वर कृपा से अच्छे भले बचे हों और वहां से रिटायर हो तो उसके बाद क्या?

झारखंड की खदानों का जो सत्य है वही सत्य बिहार, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल की खदानों का भी होगा ही। मेरे पास एक ऐसे व्यक्ति की दर्दनाक कथा है जिसने देश का मिनी रत्न कहे जाने वाले सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के एक्जिक्यूटिव के तौर पर (खान श्रमिक नहीं, एक्जिक्यूटिव) 37 साल काम किया। दिसंबर 31, 1995 को यह एक्जिक्यूटिव 58 साल की आयू में रिटायर हुआ। उसके बाद उन्हें हर महिने 1,626 रूपये बतौर पेंशन मिलता है। एक निवर्तमान एक्जिक्यूटिव का यह हाल है तो रिटायर मजदूर का क्या हाल होगा? जानना चाहेंगे? दिसंबर 31 को रिटायर हुए नॉन एक्जिक्यूटिव कर्मचारी को सिर्फ 200 (जी हां, सिर्फ दो सौ) का माहवार पेंशन मिलात है। इनकी दशा या अवदशा की कोई कल्पना करे भी तो क्या?

कोयला खदानों के संबंध में 1998 में एक पेंशन योजना बनी जो 1 अप्रैल 1994 से पिछली तारीख से लागू की गई। इसमें हर तीन साल में पैंशन फण्ड की समीक्षा कर के पैंशन की रकम बढ़ाने की स्पष्ट व्यवस्था है फिर भी यह हालत है। इस 21 वीं सदी की एक जबरदस्त अजायब घटना कही जाए ऐसी एक बात यह है कि इस कोल माइंस योजना में न्यूनतम 73 रूपये माहवार का पैंशन का उपबंध है।

ऐसे में जानकीनाथ खुद भी क्या करे? इतना ही नहीं, वर्ष 1955 में कोल इंडिया के अध्यक्ष (नाम जानबूझ कर नहीं लिख रहा) रिटायर हुए थे। उन्हें प्रति माह 2,344 बतौर पेंशन मिलता है। यह दशा है।

(लेखक राज्यसभा सांसद हैं)

हिन्दुस्तान Pg. 05
Dt. 21/11/2013

MINERS' SAFETY TAKEN UP IN RAJYA SABHA

RANCHI: Rajya Sabha MP Parimal Nathwani had taken up the issue of coal miners' safety during the monsoon session of the parliament on August 14. However, no concrete decision was taken to ensure better safety measures for the miners who risk their lives every day while working in the mines. The mishap in Dhanbad that claimed four lives in a coal mine accident on November 11, according to Nathwani, was one of the several coal mine accidents that have claimed several lives in the past yet been taken "casually."

A press handout from Nathwani's office on Wednesday said, "According to the details presented on the table of the house; the number of persons died in different accidents in coal mines of Jharkhand was 133 including those four who lost their lives in the accident of November 11 at Dhanbad coal mine. Another 24 died in various accidents in non-coal mines of Jharkhand during 2008-2013".

HTC

HINDUSTAN TIMES
Pg. 04 Dt. 21/11/2013